

मध्य प्रदेश शासन  
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति  
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002  
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, email: afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2016/ 1252

दिनांक - 25/4/16

// आदेश //

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा दिनांक 06.04.16 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये उपयोगिता के आधार पर लिये जाने वाले ऐच्छिक शुल्क के विनियमन में पुनरीक्षण किया गया है, जो कि नीचे दी गई तालिका में दर्शित है। पुनरीक्षण ऐच्छिक शुल्क सत्र 2016-17 से लागू होगा -

स.क्र.	विवरण	पुनरीक्षित विनियमन की अधिकतम राशि
1	यातायात शुल्क	6000/- प्रति सेमेस्टर
2	छात्रावास शुल्क	6000/- प्रति सेमेस्टर
3	प्रशिक्षण एवं नियोजन शुल्क	1000/- प्रति सेमेस्टर (अन्तिम वर्ष )

N-K-25/4/16  
(डॉ. एन.के.शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

दिनांक- 25/4/16

पृ. क्रमांक/सचि./ओएसडी/2016/ 1253

- प्रतिलिपि-1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- निज सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
  - आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
  - अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति का नोडल विभाग) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
  - उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल को प्रेषित।
  - संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
  - संचालक, तकनीकी शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
  - कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, श्यामला हिल्स भोपाल को इस टीप के साथ कि वे प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के पोर्टल पर (Link- "Revised fee regulated by the Committee for Optional Heads") अपलोड करना सुनिश्चित करें।

N-K-25/4/16  
(डॉ. एन.के.शर्मा)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी